

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(अनुभाग-3)**

क्रमांक एफ 4(5)/ग्रावि/नरेगा/रागासेके/08-09 जयपुर, दिनांक: **E 8 JAN 2010**  
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान ।

विषय:- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.12.09 के क्रम में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये थे। कतिपय जिलों द्वारा यह जानकारी चाही है कि इस कार्य को दिनांक 01.04.10 से पूर्व भी प्रारम्भ किया जा सकता है या नहीं।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 में दिनांक 11.11.09 को संशोधन कर इस कार्य के निर्माण को अनुमत कर दिया है। अतः नरेगा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2009-10 में सम्मिलित हुए बिना भी इस कार्य को प्रारम्भ करवाया जा सकता है। वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना में इस कार्य को सम्मिलित करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक एफ 4 (51) आरडी/नरेगा/09-10 दिनांक 23.10.09 द्वारा भी निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आपने आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली होगी।

कार्य को पूर्ण करवाने की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क.सं.	निर्माण की स्थिति	कुल मूल्यांकन
1.	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	15 फरवरी, 2010
2.	कुर्सी स्तर तक का कार्य	5 मार्च 2010
3.	लिनटेल स्तर तक का कार्य	15 मार्च, 2010
4.	छत स्तर तक चिनाई का कार्य	30 मार्च, 2010
5.	छत डालकर शटरिंग हटाने तक का कार्य	25 अप्रैल, 2010
6.	भवन के प्लास्टर का कार्य	15 मई, 2010
7.	फिनिशिंग कार्य नल, बिजली सहित	15 जून, 2010

उक्तानुसार समस्त कार्य इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 19.12.09 के अनुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
7/1/10  
(तन्मय कुमार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक/ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)

क्रमांक:-एफ-4(51)आरडी/नरेगा//09-10

जयपुर, दिनांक

13/10/09

23 OCT 2009


जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त(राजस्थान)।

विषय:-वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना में राजीव गांधी सेवा  
केन्द्रों को सम्मिलित करने के संबंध में।

महोदय;

उक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि मा. मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2009 को पंचायती राज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नागौर में यह घोषणा की है कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्थापित किया जावेगा। इस संबंध में मां. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8.10.09 को चर्चा उपरांत यह निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार शीघ्र ही नरेगा के नियम की अनुसूची-1 में अनुमत कार्यों में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण विकास योजनाओं एवं आई.टी. सेवाओं की उपलब्धी सुनिश्चित करने हेतु राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण को अनुमत करेगी। अतः आप वर्ष 2010-11 की वर्तमान में बनाई जा रही कार्य योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव भी सम्मिलित करावें।

भवदीय,



(रामनिवास मेहता)

परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त(राजस्थान)।
- 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,(समस्त)।
- 3- रक्षित पत्रावली।



परियोजना निदेशक, ईजीएस